वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 11.07.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",हिन्दुस्तान, आज, राष्ट्रीय सहारा, न्यायाधीश, ज्ञानशिखा टाइम्स, जनसंदेश टाइम्स," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

हिन्दुस्तान–दि0 11.07.2025

पीपीपी मॉडल पर बनेगी मैकेनाइज्ड पार्किंग

वाराणसी। शहर में यातायात व्यवस्थित करने के उद्देश्य से वीडीए प्रशासन पीपीपी मॉडल पर मैकेनाइज्ड पार्किंग की तैयारी कर रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की तर्ज पर वीडीए बनारस में यह व्यवस्था लागू करने जा रहा है। मैकेनाइज्ड पार्किंग बनाने वाली एजेंसी को कुल लागत का 25 प्रतिशत एडवांस जमा करना होगा। यवीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया निर्माण से पहले ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी।

आज–दि0 11.07.2025

विप्रा मैकेनाइज्ड पार्किंग को देगा प्रोत्साहन

शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक समस्या पर लगेगा अंकुश

लखनऊ के तर्ज पर विकास प्राधिकरण शहरी क्षेत्र में पार्किंग समस्या का समाधान करने के लिए मैकेनाइज्ड पार्किंग को बढ़ावा देगा। इस संबंध में विकास प्राधिकरण २५ प्रतिशत धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करायेगी। शहर में तेजी से बढ़ रहे ट्रैफिक समस्या और पार्किंग की कमी को देखते हुए वाराणसी विकास प्राधिकरण मैकेनाइज्ड पार्किंग के निर्माण को प्रोत्साहित करेगा। इस पार्किंग के मानचित्र में विभाग सरल प्रक्रिया अपनायेगा। जिसमें आनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी इसको दाखिल किया जा सकता है। समन स्वीकृत निर्माण कार्य होने के बाद आफलाइन के माध्यम से दी जायेगी। साथ ही यह भी तय किया गया है कि आनलाइन आवेदन करते समय प्रतिभूत की राशि जमा करनी होगी। निर्माण होने के बाद मानचित्र दिया जायेगा। मानचित्र स्थानांतरित करने से पहले पार्किंग की पूरी व्यवस्था का निरीक्षण विशेषज्ञों द्वारा किया जायेगा। हालांकि इस योजना के तहत शमन मानचित्र को लेकर विप्रा उपाध्यक्ष विशेष परिस्थितियों में अपने अधिकार का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैकेनाइज्ड पार्किंग की स्थापना पूर्ण होने के बाद २५ प्रतिशत प्रतिभूत की राशि लौटा दी जायेगी। साथ ही यह व्यवस्था भी सुनिश्चित होगी कि नक्सा पास कराने वाला व्यक्ति वास्तव में पार्किंग की ही स्थापना करेगा। अगर कोई व्यक्ति मैकेनाइज्ड पार्किंग के अलावा उक्त स्थल का प्रयोग अन्य किसी कार्यों में लेगी तो उसका नक्सा रद कर दिया जायेगा। विकास प्राधिकरण यह पहल निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए शहर में पार्किंग की समस्या का समाधान करने के लिए व्यवस्था करने जा रही है। इससे पहले लखनऊ में इस प्रकार के पार्किंग की व्यवस्था की गयी है। इसमें चार पहिया वाहन को यांत्रिक प्रणाली के माध्यम से पार्किंग में भेजा और निकाला जायेगा।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

राष्ट्रीय सहारा–दि0 11.07.2025

वीडीए की पहल : मैकेनाइज्ड पार्किंग को मिलेगा प्रोत्साहन

वाराणसी। शहर में बढ़ते ट्रैफिक और सीमित पार्किंग व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने मैकेनाइज्ड पार्किंग के निर्माण को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह व्यवस्था लखनऊ विकास प्राधिकरण की तर्ज पर लागू की जा रही है, जिससे शहरी क्षेत्र में पार्किंग की सुव्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। उक्त निर्णय के अंतर्गत, मैकेनाइज्ड पार्किंग निर्माण के इच्छुक पक्ष को आकलित कुल लागत का 25% धनराशि प्रतिभूति (सिक्योरिटी मनी) के रूप में अग्रिम जमा करनी होगी। यदि निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जाता है, तो यह राशि जब्त कर ली जाएगी। **प्रक्रियागत व्यवस्था इस प्रकार तय की गई है :** मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया निर्माण से पूर्व ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। शमन स्वीकृति निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद ऑफलाइन माध्यम से की जाएगी। यह भी तय किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ही प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरांत, शमन कार्यवाही पूर्ण कर शमन मानचित्र निर्गत किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में, उपाध्यक्ष की पूर्व अनुमति से शमन मानचित्र पहले भी जारी किया जा सकेगा। निर्धारित प्रक्रिया और मैकेनाइज्ड पार्किंग की स्थापना पूर्ण होने के बाद, उपाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत प्रतिभूति राशि लौटाई जाएगी। यह व्यवस्था यह भी सुनिश्चित करेगी कि नक्शे में स्टैक पार्किंग दर्शाकर पास कराने वाले आवेदक वास्तव में स्टैक पार्किंग की स्थापना करें। वाराणसी विकास प्राधिकरण की यह पहल न केवल निजी निवेश को आकर्षित करेगी, बल्कि शहर में स्मार्ट और टिकाऊ मैकेनाइज्ड पार्किंग समाधान को भी सशक्त बनाएगी।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 11.07.2025

शहरी क्षेत्र में पार्किंग समस्या के समाधान की दिशा में वाराणसी विकास प्राधिकरण की पहल, मैकेनाइज्ड पार्किंग को मिलेगा प्रोत्साहन

वाराणसी। शहर में बढ़ते ट्रैफिक और सीमित पार्किंग व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने मैकेनाइज्ड पार्किंग के निर्माण को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह व्यवस्था लखनऊ विकास प्राधिकरण की तर्ज पर लागू की जा रही है, जिससे शहरी क्षेत्र में पार्किंग की सुव्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।उक्त निर्णय के अंतर्गत, मैकेनाइज्ड *पार्किंग निर्माण के इच्छुक पक्ष को आकलित कुल लागत का 25ब धनराशि प्रतिभूति (स्द्रष्ब्ह्र्द्बह्ल4 स्मेड्ढद्ग4) के रूप में अग्रिम जमा करनी होगी।* यदि निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जाता है, तो यह राशि जब्त कर ली जाएगी। मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया निर्माण से पूर्व ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। शमन स्वीकृति निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद ऑफलाइन माध्यम से की जाएगी। यह भी तय किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ही प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरांत, शमन कार्यवाही पूर्ण कर शमन मानचित्र निर्गत किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में, उपाध्यक्ष महोदय की पूर्व अनुमति से शमन मानचित्र पहले भी जारी किया जा सकेगा। निर्धारित प्रक्रिया और मैकेनाइज्ड पार्किंग की स्थापना पूर्ण होने के बाद, उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के उपरांत प्रतिभूति राशि लौटाई जाएगी।

यह व्यवस्था यह भी सुनिश्चित करेगी कि नक्शे में स्टैक पार्किंग दर्शाकर पास कराने वाले आवेदक वास्तव में स्टैक पार्किंग की स्थापना करें।वाराणसी विकास प्राधिकरण की यह पहल न केवल निजी निवेश को आकर्षित करेगी, बल्कि शहर में स्मार्ट और टिकाऊ मैकेनाइज्ड पार्किंग समाधान को भी सशक्त बनाएगी।

जनसंदेश टाइम्स–दि0 11.07.2025

रविदास घाट पर जल्द बनेगा रैम्प

वाराणसी। काशी में रविदास घाट पर जल्द रैम्प का निर्माण होगा। वीडीए ने जहां इसकी तैयारी शुरु कर दी हैं,वही दिव्यांगजनों को बेहतर सुविधा देने के लिए इसे बनाए जाने का निर्णय कर लिया हैं। उक्त घाट में 50 लाख खर्च कर 150 मीटर लम्बे रैम्प बनाए जाने के लिए जहां अवस्थापना निधि से स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है ,वही कार्य को नियमानुसार ई-निविदा आमंत्रित कर संपादित कराया जाने की तैयारी हो गई हैं। इस रैम्प के बनने से सीधे घाट से नौकाओं तक पहुंचना आसान होगा और दिव्यांग व्यक्तियों को गंगा दर्शन, क्रूज सेवाओं और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में सुविधा होगी। वर्तमान में रविदास घाट से दशाश्वमेध घाट के लिए क्रूज सेवाएं संचालित होती हैं और यहां नावों से संबंधित गतिविधियों के चलते रोजाना बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। लेकिन मौजूदा ढांचा दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त नहीं है और उन्हें घाट से नदी तक पहुंचने में काफी कठिनाई होती है।

न्यायाधीश–दि0 11.07.2025

शहरी क्षेत्र में पार्किंग समस्या के समाधान की दिशा में वाराणसी विकास प्राधिकरण की पहल

मैकेनाइज्ड पार्किंग को मिलेगा प्रोत्साहन

वाराणसी ।शहर में बढ़ते ट्रैफिक और सीमित पार्किंग व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने मैकेनाइज्ड पार्किंग के निर्माण को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह व्यवस्था लखनऊ विकास प्राधिकरण की तर्ज पर लागू की जा रही है, जिससे शहरी क्षेत्र में पार्किंग की सुव्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।उक्त निणर्य के अंतर्गत, मैकेनाइज्ड ङपार्किंग निर्माण के इच्छुक पक्ष को आकलित कुल लागत का 25इ धनराशि प्रतिभूति (एम्लूिब श्दहाब) के रूप में अग्रिम जमा करनी होगी।ङ यदि निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जाता है, तो यह राशि जब्त कर ली जाएगी।प्रक्रियागत व्यवस्था इस प्रकार तय की गई है मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया निर्माण से पूर्व ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। शमन स्वीकृति निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद ऑफलाइन माध्यम से की जाएगी।यह भी तय किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ही प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरांत, शमन कार्यवाही पूर्ण कर शमन मानचित्र निर्गत किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में, उपाध्यक्ष महोदय की पूर्व अनुमति से शमन मानचित्र पहले भी जारी किया जा सकेगा। निर्धारित प्रक्रिया और मैकेनाइज्ड पार्किंग की स्थापना पूर्ण होने के बाद, उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के उपरांत प्रतिभूति राशि लौटाई जाएगी।यह व्यवस्था यह भी सुनिश्चित करेगी कि नक्शे में स्टैक पार्किंग दर्शाकर पास कराने वाले आवेदक वास्तव में स्टैक पार्किंग की स्थापना करें।वाराणसी विकास प्राधिकरण की यह पहल न केवल निजी निवेश को आकर्षित करेगी, बल्कि शहर में स्मार्ट और टिकाऊ मैकेनाइज्ड पार्किंग समाधान को भी सशक्त बनाएगी।